क्रम संख्या–78 (घ)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 22 मार्च, 2013 ई0
चैत्र 01, 1935 शक सम्वत्

### उत्तराखण्ड शासन
सहकारिता गन्ना एवं चीनी अनुभाग–1

संख्या 557/XIV–1/2013–9(2)/2013
देहरादून, 22 मार्च, 2013

### आदेश

प0 आ0–208

भारत का संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुच्छेद 243ZK तथा उक्त कम में उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 के पारित होने के कम में उत्तराखण्ड राज्य में सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु इस सम्बन्ध में उक्त अधिनियम में निहित प्राविधानों के अनुसार "सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण" का गठन निम्न शर्तानुसार किया जाता है–

1. प्राधिकरण में राज्य सरकार द्वारा नामित एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे।
2. प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद हेतु शासन का न्यूनतम सचिव स्तर (कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त) का ऐसा अधिकारी जिसे विधिक एवं चुनाव संचालन प्रकिया का पूर्व अनुभव हो।
3. प्राधिकरण के सदस्य के रूप में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी स्तर के ऐसे अधिकारियों (कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त) को नियुक्त किया जायेगा, जिनको सहकारी समितियों के निर्वाचन का पूर्व अनुमव प्राप्त हो।

2. "सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण" के पदाधिकारियों एवं कार्यालय से सम्बन्धित समस्त व्यय सहकारिता विभाग के लिये निर्धारित अनुदान संख्या–18 की सुसंगत मदों से वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

सुबर्द्धन,
सचिव।